

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/142

1. गोरधन सिंह पुत्र अमरचन्द, जाति जाट निवासी दूडिया, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।
2. ओमसिंह पुत्र बिरजूसिंह जाति राजपूत निवासी नांगल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. पदमा देवी पत्नी जीवणराज जाति ब्राह्मण (फौत)
1/1. जीवणराम पुत्र लादूराम,
1/2. विनोद पुत्र लादूराम,
1/3. अशोक पुत्र लादूराम,
1/4. बीरबल पुत्र लादूराम,
1/5. सुभाष पुत्र लादूराम,
समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बागोरा, तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना।
– रेस्पोडेन्ट्स
2. लोकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश ब्राह्मण, निवासी घाट का बालाजी, गलता गेट, जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना।

– प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर नीम का थाना, निर्णय दिनांक 16.12.2024 द्वारा अपील संख्या 90/2023 उनवानी पदमा देवी बनाम राजस्थान सरकार जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 676 दिनांक 08.01.2016 ग्राम बागोरा को निरस्त किया गया।

उपस्थित :-

1. श्री राजाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री सुमेरराम मीना व बंशीधर जाट, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 की ओर से।
3. श्रीमती पंकज शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/92

1. गोरधन सिंह पुत्र अमरचन्द, जाति जाट निवासी दूडिया, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।
2. ओमसिंह पुत्र बिरजूसिंह जाति राजपूत निवासी नांगल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. पदमा देवी पत्नी जीवणराज जाति ब्राह्मण (फौत)
1/1. जीवणराम पुत्र लादूराम,
1/2. विनोद पुत्र लादूराम,
1/3. अशोक पुत्र लादूराम,
1/4. बीरबल पुत्र लादूराम,
1/5. सुभाष पुत्र लादूराम,
समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बागोरा, तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना।

— रेस्पोडेन्ट्स

3. लोकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश ब्राह्मण निवासी घाट का बालाजी, गलता गेट, जयपुर।

— प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं द्वारा प्रकरण संख्या 28/2024 उनवानी पदमा देवी बनाम लोकेश कुमार पर पारित निर्णय दिनांक 12.02.2025 के संबध में।

उपस्थित :-

1. श्री राजाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री बंशीधर जाट, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 व 1/3 लगायत 1/5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।
5. श्रीमती पंकज शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/89

1. लोकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश ब्राह्मण निवासी ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी हाल निवासी घाट का बालाजी, गलता गेट, जयपुर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. पदमा देवी पत्नी जीवणराज जाति ब्राह्मण (फौत)
1/1. जीवणराम पुत्र लादूराम,
1/2. विनोद पुत्र लादूराम,
1/3. अशोक पुत्र लादूराम,
1/4. बीरबल पुत्र लादूराम,
1/5. सुभाष पुत्र लादूराम,

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बागोरा, तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना।

— रेस्पोडेन्ट्स

3. गोरधन सिंह पुत्र अमरचन्द, जाति जाट निवासी दूडिया, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
4. ओमसिंह पुत्र बिरजूसिंह जाति राजपूत निवासी नांगल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

— प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं द्वारा प्रकरण संख्या 28/2024 उनवानी पदमा देवी बनाम लोकेश कुमार पर पारित निर्णय दिनांक 12.02.2025 के संबध में।

अतिरिक्त सम्मतीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित :-

1. श्रीमती पंकज शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री बंशीधर जाट, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 व 1/3 से 1/5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से उपस्थित।
5. श्री राजाराम चौधरी, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से।

1. अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपीलों में से अपील संख्या क्रमशः जीसीएमएस नम्बर 2025/142 उनवानी गोरधन सिंह व अन्य बनाम पदमा देवी अतिरिक्त जिला कलक्टर नीम का थाना हाल जिला सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.12.2024 के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है एवं अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/92 उनवानी गोरधन सिंह व अन्य व बनाम पदमा देवी व अन्य एवं अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/89 उनवानी लोकेश कुमार बनाम पदमा देवी व अन्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.02.2025 के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। चूंकि उपरोक्त तीनों अपीलों की विषयवस्तु, तथ्य एवं भूमि विवादग्रस्त एक ही होने के कारण उपरोक्त तीनों अपीलों की सुनवाई एक साथ की गई है एवं निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बागोरा, तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 389, 392 कुल किता 2, कुल रकबा 2.32 है0 स्थित है, जो ओमप्रकाश पुत्र जीवणराम जाति ब्राह्मण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। ओमप्रकाश पुत्र जीवणराम की मृत्यु दिनांक 16.01.2004 को हो जाने पर ओमप्रकाश के पिता जीवणराम पुत्र लादूराम जाति ब्राह्मण निवासी बागोरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं ने तहसीलदार उदयपुरवाटी को प्रार्थना पत्र बाबत नामान्तरकरण खोलने बाबत निवेदन किया गया। जिस पर तहसीलदार उदयपुरवाटी ने निर्णय दिनांक 05.01.2016 द्वारा लोकेश कुमार पुत्र स्व0 ओमप्रकाश ब्राह्मण निवासी बागोरा को एकमात्र वारिस मानते हुये ओमप्रकाश पुत्र जीवणराम ब्राह्मण निवासी बागोरा, तहसील उदयपुरवाटी की खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण इनके वारिस लोकेश कुमार के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 05.01.2016 पारित किये गये। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने आदेश दिनांक 05.01.2016 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 676 ग्राम बागोरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं दिनांक 08.01.2016 द्वारा लोकेश कुमार पुत्र स्व0 ओमप्रकाश कौम ब्राह्मण के नाम स्वीकृत किया गया।

तहसीलदार उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 05.01.2016 की पालना में स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 676 ग्राम बागोरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं दिनांक 08.01.2016 से व्यथित होकर पदमा देवी पत्नि जीवणराम के वारिसान जीवणराम वगैरह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीम का थाना के अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर नीम का थाना ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.12.2024 द्वारा अपील अपीलान्त स्वीकार की गयी तथा न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.01.2016 अपास्त किया जाकर एवं उक्त निर्णय की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 676 ग्राम बागोरा दिनांक 08.01.2016 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वह मृतक ओमप्रकाश के विधिक वारिसान के संबंध में सम्पूर्ण जांच कर एवं पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये हैं।

तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं ने न्यायालय अति. जिला कलक्टर नीमकाथाना के निर्णय दिनांक 16.12.2024 की पालना में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 135 (2) के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये तथा पटवारी पटवार हल्का बागोरा को मृतक ओमप्रकाश के विधिक वारिसान की जांच एवं मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.02.2025 द्वारा प्रार्थीगण पदमा देवी पत्नी जीवणराम जाति

अतिरिक्त सम्पत्तीय आयुक्त
जयपुर

ब्राह्मण निवासी बागोरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर मौका जांच रिपोर्ट पटवारी तथा वारिसान जांच रिपोर्ट पटवारी के अनुसार भूमि खाता संख्या 17 खसरा संख्या 389 रकबा 0.22 तथा खसरा संख्या 392 रकबा 2.10 कुल किता 2 कुल रकबा 2.32 है० भूमि की खातेदारी से लोकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी सा. देह का नाम हटाया जाकर इसके स्थान पर मृतक ओमप्रकाश के विधिक वारीसान पदमा देवी पत्नी जीवणराम (माता), जीवणराम पुत्र लादुराम (पिता), अशोक, विनोद, बीरबल, सुभाष पुत्रगण जीवणराम (भाई) समस्त जातिगण ब्राह्मण निवासी बागोरा, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं के नाम राजस्व रिकार्ड में किसी न्यायालय का स्थगन प्रभावी ना हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर नीम का थाना के निर्णय दिनांक 16.12.2024 एवं तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 12.02.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स लोकेश पुत्र ओमप्रकाश, गोरधन सिंह पुत्र अमरचन्द व अन्य द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीम का थाना के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.12.2024 को निरस्त करने एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 12.02.2025 को निरस्त करने तथा नामान्तरकरण संख्या 676 ग्राम बागोरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं दिनांक 08.01.2016 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ताओं एवं प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट के अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया किवाके ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना स्थित आराजी खसरा नम्बर 389 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 392 रकबा 2.10 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.32 हैक्टर का खातेदार काश्तकार ओमप्रकाश पुत्र जीवणराम जाति ब्राह्मण निवासी बागोरा तहसील उदयपुरवाटी था। खातेदार ओमप्रकाश पुत्र जीवणराम जाति ब्राह्मण का देहान्त दिनांक 16.01.2004 को हो गया। मृतक ओमप्रकाश ब्राह्मण की विरासत का नामान्तरकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष प्रकरण संख्या 8/2015 उनवानी जीवणराम बनाम लोकेश कुमार अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत चला। जिसमें तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा सभी पक्षों को सुना जाकर अपने निर्णय दिनांक 05.01.2016 द्वारा मृतक ओमप्रकाश की विरासत का नामान्तरकरण उसके एकमात्र पुत्र लोकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का निर्णय पारित कर दिया गया। वह आदेश अंतिम हो गया उसके विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपील इत्यादि प्रस्तुत नहीं की गई। तहसीलदार उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 05.01.2016 अन्तर्गत धारा 135 (2) के अन्तर्गत पारित निर्णय की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 676 दिनांक 08.01.2016 को तस्दीक किया जाकर राजस्व भू अभिलेखों में लोकेश पुत्र ओमप्रकाश का नाम अंकित कर दिया गया उसके पश्चात् खातेदार लोकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश ने अपीलाधीन भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.01.2016 के द्वारा अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/92 के अपीलार्थीगण गोरधन सिंह पुत्र अमरचन्द व ओमसिंह को विक्रय कर मौके पर कब्जा संभला दिया तब से अपीलार्थीगण भूमि विवादग्रस्त पर काविज काश्त चले आ रहे हैं तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की पालना में राजस्व भू अभिलेखों में भी अपीलार्थीगण का नाम अंकित नहीं हो सका। उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों की समुचित जानकारी रेस्पोंडेन्ट पदमादेवी को भलीभांति थी, उसके बावजूद भी पदमादेवी ने जानबुझकर तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के तहत पारित निर्णय दिनांक 05.01.2016 के विरुद्ध न्यायालय संभागीय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं की बल्कि बदनियतिपूर्वक उक्त निर्णय की पालना में तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 675 दिनांक 08.01.2016 के विरुद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय नीम का थाना के यहाँ केवल प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट को ही पक्षकार बनाकर अपील पेश की है जिन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2024 पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने के कारण खारिज योग्य है।

रेस्पोडेन्ट पदमा देवी को उक्त भूमि के विक्रय होने की एवं भूमि विवादग्रस्त पर अपीलार्थीगण कब्जे काश्त होने की पूर्ण जानकारी प्रारम्भ से ही रही है उसके बावजूद रेस्पोडेन्ट पदमादेवी ने बदनियतिपूर्वक भूमि विवादग्रस्त के सदभावी क्रेतागण (बोनाफाईड प्रचेजर) अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जब अपीलार्थीगण को रेस्पोडेन्ट की उक्त अपील की जानकारी हुई तो अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम-10 सपठित आदेश 41 नियम-20 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर सभी तथ्यों से अवगत कराते हुए पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि विवादग्रस्त अपीलार्थीगण के हित निहित होना मानते हुए अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाया गया। अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट पदमादेवी की अपील क्षेत्राधिकार विहीन होने एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी के मूल आदेश के विरुद्ध अपील नहीं किये जाने से अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया था लेकिन फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नामान्तरकरण के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में मूल निर्णय एवं नामान्तरकरण दोनों को खारिज किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2024 पारित किया है जिससे अपीलार्थीगण के अधिकार गंभीर रूप से विपरित प्रभावित होने के कारण अपीलार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया कि वे अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2024 को निरस्त करावें। अपीलाधीन निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना दिनांक 16.12.2024 तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने की वजह से निरस्तनीय हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स आदेश पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय हैं।

प्रकरण में मृतक ओमप्रकाश की विरासत के सम्बन्ध में तहसीलदार उदयपुरवाटी के यहाँ प्रकरण संख्या 8/2015 अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के तहत दर्ज कर तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपने निर्णय दिनांक 05.01.2016 द्वारा निर्णित कर दिया गया था। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के अन्तर्गत पारित निर्णय की अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार कानूनन सिर्फ न्यायालय संभागीय आयुक्त को है जो भू राजस्व अधिनियम में प्रावधित है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट पदमादेवी की अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीम का थाना के समक्ष पोषणीय ही नहीं थी और कानूनन अपील एडमिशन के समय ही खारिज योग्य थी अथवा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुती हेतु वापस लौटाई जाने योग्य थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग कर अपील को एडमिट किया और कार्यवाही जारी रखी जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं। विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक आदेश के विरुद्ध पृथक-पृथक अपील प्रस्तुत की जावेगी। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट पदमादेवी द्वारा बदनियतिपूर्वक सिर्फ एक आदेश नामान्तरकरण संख्या 675 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत थी उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत क्षेत्राधिकार विहीन अपील के माध्यम से दो आदेशों को निरस्त किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2024 पारित किया है, जो न्यायिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2024 जो पूर्णतः अवैध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतिरिक्त जिला कलक्टर नीम का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
नयपुर

थाना के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.12.2024 की पालना में न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा प्रकरण संख्या 8/2015 अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के तहत पारित आदेश दिनांक 05.01.2016 के विरुद्ध अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार कानूनन सिर्फ न्यायालय संभागीय आयुक्त को प्रदत्त है उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीम का थाना ने स्वयं को न्यायालय संभागीय आयुक्त के समान्तरण क्षेत्राधिकार मानते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.12.2024 पारित किया है जो अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण एवं न्यायिक क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी आदेश की पालना में तस्दीक किये गये नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत करने से पूर्व उस मूल आदेश की अपील करना आवश्यक है किन्तु इस प्रस्तुत प्रकरण में मूल आदेश दिनांक 05.01.2016 के विरुद्ध अपील ही प्रस्तुत नहीं हुई। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीम का थाना ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2024 पारित किया गया है, जो विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रियाओं के विपरित अपने क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग कर पारित किया गया है, जो पूर्णतः अवैध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

लोकेश कुमार भूमि विवादग्रस्त का खातेदार काश्तकार स्व. ओमप्रकाश का जायन्दा पुत्र है, जो स्व. ओमप्रकाश ब्राह्मण का प्रथम श्रेणी का वारिस है। और तहसीलदार उदयपुरवाटी ने प्रकरण का गुणावगुण पर भूमि विवादग्रस्त का नामान्तरकरण लोकेश कुमार के नाम नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिनांक 05.01.2016 पारित किये गये थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझने की कोशिश ही नहीं की गई और आनन-फानन में न्यायिक एवं विधिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर कतई परवर्स अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.12.2024 पारित किया गया जो पूर्णतः अवैध होने से खारिज किये जाने योग्य है। मृतक ओमप्रकाश की पत्नी प्रेमलता द्वारा पारिवारिक न्यायालय में दायर प्रकरण संख्या 94/1994 में अपने एक पुत्र लोकेश कुमार होना स्पष्ट अंकित किया, उसके पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में पारिवारिक न्यायालय में किसी प्रकार का कथन अंकित किया जाना नहीं मानते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। विद्वान तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष पूर्व में प्रकरण संख्या 8/2025 में प्रस्तुत पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 23.10.2015 एवं लोकेश कुमार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र प्रेमलता, लोकेश कुमार, विद्या देवी, सीताराम, संस्कृत परीक्षा 2005 का मेजरनामा दिनांक 06.07.1989 को टेलीग्राम डाक विभाग की प्रति जिसमें युधिष्ठिर शर्मा द्वारा जयपुर से जीवनराम शर्मा बागोरा को दिया है कि लोकेश सीरियश है जल्द आवो, उपरोक्त वर्णित दस्तावेजातों से यह स्पष्ट है कि मृतक ओमप्रकाश का एकमात्र जायन्दा पुत्र लोकेश कुमार होने के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय उक्त पत्रावली को प्रस्तुत पत्रावली में शामिल ना कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या 8/2025 अन्तर्गत धारा 135 (2) दिनांक 05.01.2016 पारित किये जाने से जब सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर उपरोक्त निर्णय को सेटअसाइड नहीं करवा लेते तब तक पुनः अधीनस्थ न्यायालय को 135 (2) के तहत प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के पश्चात भी अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यथा शीघ्र निर्णय पारित किये जाने की कार्यवाही करते हुये एक ही दिन में सम्पूर्ण आदेशिकाएँ अंकित करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आने के कारण भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः उपरोक्त अपीलें पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नीमकाथाना (अपील संख्या 90/2023 उनवानी पदमादेवी बनाम राजस्थान सरकार) निर्णय दिनांक 16.12.2024 एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं (प्रकरण संख्या 28/2024 उनवानी पदमादेवी बनाम लोकेश कुमार) निर्णय दिनांक 12.02.2025 को निरस्त किये जाने तथा नामान्तकरण संख्या 676 दिनांक 08.01.2016 को यथावत रखे जाने के आदेश पारित फरमाये जावें।

6. वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 ने अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपीलों का विरोध करते हुये बहस के दौरान लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलान्ट्स द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीम का थाना के निर्णय दिनांक 16.12.2024 (अपील संख्या 90/2023 उनवानी पदमा देवी बनाम सरकार) जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 676 दिनांक 08.01.2016 ग्राम बागोरा को निरस्त किया गया के विरुद्ध पेश की है। उक्त नामान्तकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश दिनांक 05.01.2016 के द्वारा तस्दीक किया गया था जिसमें हाल अपीलान्ट गोर्धन सिंह व ओम सिंह पक्षकार नहीं थे। परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा गलत तरीके से नामान्तकरण तस्दीक करवाकर उक्त भूमि का गैर नुमाईसी विक्रय पत्र दिनांक 11.01.2016 को विक्रय कर दी गई। अपील में वर्णित आराजीयात की खातेदारी ओमप्रकाश पुत्र जीवन के नाम थी ओमप्रकाश का विवाह प्रेमलता पुत्री युधिष्ठिर सहाय शर्मा निवासी घाट के बालाजी गलता रोड जयपुर से वर्ष 1979 में हुआ था। परन्तु ओमप्रकाश की पत्नी प्रेमलता शादी के बाद से ही पीहर में रहती थी तथा पीहर में ही अन्य व्यक्ति सीताराम पुत्र नारायण शर्मा से गैर नाजायज सम्बन्ध थे जो उसके पीहर में उसके पड़ोस में घाट के बालाजी अनाज मण्डी सूरजपोल भेट जयपुर के पास रहता था से प्रथम पुत्र लोकेश पुत्र सीताराम वर्ष 1986, सौरभ पुत्र सीताराम वर्ष 1987, स्वाती पुत्री वर्ष 1989 से उत्पन्न हुये है। तथा पारिवारिक न्यायालय में विवाह विच्छेद हेतु एक रिट पीटिशन 94/1994 प्रेमलता बनाम ओमप्रकाश के उनवान से प्रस्तुत की गई जो दिनांक 20.10.1995 को डिक्री हो गया।

उक्त प्रकरण में प्रेमलता पुत्री युधिष्ठिर द्वारा निम्न अभिकथन किया कि " मेरा विवाह दिनांक 08.05.1979 को हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल में अप्रार्थी (ओमप्रकाश) का व्यवहार अच्छा नहीं रहा तथा दोरे पड़ते थे व प्रार्थीया (प्रेमलता) पर शक करता था। शादी के कुछ समय बाद ससुराल में प्रार्थीया को मालूम पडा की अप्रार्थी मानसिक रूप से विक्षित है। इस कारण प्रार्थीया अपने माता पिता के पास रहती है। तथा अप्रार्थी इनसाउण्डमाईड होने के आधार पर भी वह (प्रेमलता) विवाह विच्छेद की अधिकारी है तथा बयानों में कहा कि करीब 12-13 साल से प्रार्थीया अपने माता पिता के पास रहती है तथा अप्रार्थी ने उसे छोड रखा है व याचिका प्रस्तुत करने के पूर्व से 12 साल के बिना किसी कारण के प्रार्थीया को परित्याग कर रखा है इस कारण विवाह विच्छेद की डिक्री दिनांक 20.10.1995 को जारी की गई" अर्थात माननीय पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित डिक्री में यह तथ्य स्पष्ट है कि ओमप्रकाश की पत्नी प्रेमलता द्वारा न्यायालय में कथन किया है कि वह अपने पति के साथ कभी नहीं रही तथा वर्ष 1994 में रिट प्रस्तुत करते समय भी 14 वर्ष से पीहर में रहना उल्लेख किया है वह सम्पूर्ण रिट पीटिशन में प्रेमलता व ओमप्रकाश के सम्बंधों द्वारा किसी संतान उत्पन्न होने का विवरण नहीं दिया है जबकि तथाकथित लोकेश पुत्र सीताराम ने तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष अपना जन्म 1986 को होना बताया है तथा लोकेश की माता प्रेमलता द्वारा पारिवारिक न्यायालय में वर्ष 1994 में रिट लगाकर लगभग 12-14 वर्ष पति से परित्याग का उल्लेख करते हुये अपने पीहर में रहना स्वीकार किया है जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री जारी की है पारिवारिक न्यायालय व अन्य न्यायालय में यह उल्लेख नहीं किया गया कि ओमप्रकाश व प्रेमलता के वैवाहिक जीवन में कोई संतान उत्पन्न हुई है जिससे साफ जाहीर है कि लोकेश ओमप्रकाश की संतान नहीं होकर प्रेमलता के प्रेमी सीताराम से उत्पन्न संतान है।

अतिरिक्त संज्ञानीय आयुक्त
जयपुर

इस सम्बंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीमकाथाना में अपीलान्ट द्वारा लोकेश पुत्र सीताराम शर्मा को साबित करने के लिये निम्न दस्तावेज पेश किये है:- जैसे पुजारी पद हेतु आवेदन जिसमें लोकेश स्वयं द्वारा अपने पिता का नाम सीताराम शर्मा जन्म तिथि 22.12.1986 पता 20 जे.डी.ए क्वार्टर्स सूजरपोल नाग तलाई जयपुर शैक्षिक योग्यता शास्त्री तृतीय वर्ष का उल्लेख किया है। जिसके आधार पर श्री राधागोविन्द जी मन्दिर गोपाल जी 45-48 सूजरपोल बाजार जयपुर द्वारा दिनांक 06.03.2005 को प्रमाण पत्र जारी किया गया। तथा कार्यालय राज्य मंत्री देवरथान विभाग द्वारा दिनांक 15.06.2006 को पुजारी के क्रम प्रमाणपत्र जारी किया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10 वर्ष 2003 अंक तालिका जिसमें लोकेश कुमार शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा माता प्रेमलता शर्मा का उल्लेख किया गया है व राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय शास्त्री प्रथम वर्ष की अंक तालिका में लोकेश कुमार शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा माता प्रेमलता शर्मा दर्ज अंकित है एवं राजस्थान सरकार परिवार राशनकार्ड संख्या 0034 सीडी कोड 120561 थाना गलतागेट परिवार का मुखिया सीताराम पुत्र नारायण लाल शर्मा में सीताराम की पत्नी के रूप में प्रेमलता शर्मा पुत्र लोकेश कुमार, सौरभ शर्मा, पुत्री स्वाती शर्मा दर्ज अंकित है तथा आधार कार्ड सं. 456926159785 में लोकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा है। लोकेश के मूल निवास प्रमाण पत्र में लोकेश कुमार शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा पता 20 हुडको आवासीय योजना सूजरपोल जयपुर है। आधार कार्ड सं. 202677319202 में प्रेमलता पत्नी सीताराम शर्मा है व भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र लोकेश पुत्र सीताराम पहचान नम्बर एमसीएन/355367 जारी दिनांक 26.05.2008 एवं ममता शर्मा पत्नी लोकेश निवासी गलता गेट मन्दिर के पीछे घाट के बालाजी जयपुर तथा जन आधार संख्या 9785 लोकेश कुमार शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा माता प्रेमलता, प्रमाण पत्र सरपंच कार्यालय बागोरा का प्रमाण पत्र, मेजरनामा ग्राम पंचायत बागोरा दिनांक 20.09.15, प्रकरण संख्या 94/1994 पारिवारिक न्यायालय जयपुर निर्णय दिनांक 20.10.1995 उनवानी श्रीमती प्रेमलता बनाम ओमप्रकाश का प्रस्तुत किया गया। उक्त दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये जिसके रिबटल में न्यायालय अति. जिला कलेक्टर नीमकाथाना के समक्ष लोकेश द्वारा ग्राम पंचायत बागोरा द्वारा दिनांक 14.08.2015 का फर्जी वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया उक्त वारिस प्रमाण पत्र को तत्कालीन सरपंच ने लोकेश से दिनांक 14.08.2015 को ही वापस लिया गया तथा फर्जी प्रमाण पत्र जारी होने की सूचना भी स्थानीय समाचार पत्र में दी गई जिसकी पूर्ण जानकारी होने के बाद भी लोकेश द्वारा तहसीलदार के समक्ष उक्त वारिसनामा प्रस्तुत किया गया एवं एक कक्षा 5 की निजी शिक्षा समिति की टी.सी. प्रस्तुत की गई।

समस्त दस्तावेजात का उल्लेख व मनन किया जाकर तथा सम्बंधित हल्का पटवारी व तहसीलदार से मौका कब्जा रिपोर्ट प्राप्त कर मृतक ओमप्रकाश की मृत्यु दिनांक 16.01.2004 का प्रमाण पत्र प्राप्त कर समस्त दस्तावेज व रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.01.2016 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 676 दिनांक 08.01.2016 को तस्दीक किया गया को खारिज कर पुनः पक्षकारान की सुनवाई कर विधि सम्मत नामान्तकरण तस्दीक करने बाबत तहसीलदार उदयपुरवाटी को दिनांक 16.12.2024 को आदेश पारित किया गया, माननीय अति जिला कलेक्टर नीमकाथाना के आदेश की पालनानुसार प्रकरण पुनः तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष प्रकरण संख्या 28/2024 पदमा देवी बनाम लोकेश के उनवान से दर्ज किया गया तत्पश्चात् पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर हल्का पटवारी बागोरा से रिपोर्ट प्राप्त कर ओमप्रकाश, पदमा देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र व समस्त दस्तावेजात प्राप्त कर समस्त दस्तावेजातों का अवलोकन कर दिनांक 12.02.2025 को मृतक के पिता जीवणराम पुत्र लादूराम, भाई अशोक, विनोद, वीरबल, सुभाष पुत्रान जीवणराम के नाम नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश दिये गये अर्थात् अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीमकाथाना दिनांक 16.12.2024 के आदेश की पालना तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 12.02.2025 को हो जाने के कारण अपील प्रभावहीन होने के

अतिरिक्त सम्भोगीय आयुक्त
जयपुर

कारण भी खारिज किये जाने योग्य है तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश दिनांक 12.02.2025 के विरुद्ध भी अपील संख्या 92/2025 प्रस्तुत की जा चुकी है। इस कारण भी अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा मुख्य रूप से यह भी आपत्ति ली है कि न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 05.01.2016 के विरुद्ध संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष अपील पेश होनी थी गलत है क्योंकि माननीय अति. कलेक्टर नीमकाथाना के समक्ष अपील संख्या 90/2023 नामान्तरण संख्या 676 दिनांक 08.01.2016 के विरुद्ध पेश की गई थी जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार अति. जिला कलेक्टर नीमकाथाना में नियत है तथा तकनीकी आधार पर भी किसी निर्णय को नहीं बदला जा सकता है इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा सम्पूर्ण अपील में गुणावगुण पर कोई आधार वर्णित नहीं किया है तथा अपीलान्ट गोरधन सिंह व अन्य अजनबी क्रेता है जिनके द्वारा यह अपील पेश की गई है मूल पक्षकार लोकेश द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गई। सम्पूर्ण प्रकरण में एक हास्यप्रद कहानी यह है कि विपक्षीगण लोकेश पुत्र सीताराम अपने आप को अकेला जायन्दा पुत्र ओमप्रकाश का होना बता रहा है जबकि उनके कथनों पर विश्वास किया जावे तो प्रेमलता पत्नी, लोकेश जन्म 1986 पुत्र, सौरभ पुत्र जन्म 1987, स्वाती पुत्री वर्ष 1989 चारों ही वारिस हो सकते हैं फिर अकेले लोकेश के द्वारा आवेदन क्यों किया गया जो केवल मृतक ओमप्रकाश की सम्पत्ति को हडप करने का एक षडयंत्र है। अपीलान्ट न तो ओमप्रकाश का पुत्र है ना ही अपीलाधीन भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है। गोरधन सिंह द्वारा बिना विधिक अधिकार के ही अपील पेश की है जिन्हें अपील पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस कारण भी अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीमकाथाना द्वारा तहसीलदार उदयपुरवाटी के नामान्तरण संख्या 676 दिनांक 08.01.2016 को निर्णय दिनांक 16.12.2024 को निरस्त किया गया था जिसकी पालना में प्रकरण संख्या 28/2024 दर्ज किया जाकर दिनांक 12.02.2025 को तहसीलदार उदयपुरवाटी को मृतक ओमप्रकाश के वारिसान के नाम नामान्तरण तस्दीक करने के आदेश दिये गये हैं अगर अपीलान्ट का किसी प्रकार से हक अधिकार है तो वह सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा करवा सकते हैं गोरधन सिंह वगैरह अजनबी क्रेतागण है तथा अपीलाधीन नामान्तरण विरासत से सम्बंधित तस्दीक किया गया है जिसको तृतीय व्यक्ति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती हैं। गोरधन सिंह द्वारा बिना विधिक अधिकार के ही अपील पेश की है जिन्हे अपील पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस कारण भी अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील गलत तथ्यों के आधार पर पेश किये जाने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपीलों का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीम का थाना ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.12.2024 एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.02.2025 विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।
8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन कर प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मुख्यतः विवाद खातेदार ओमप्रकाश पुत्र जीवणराम की विरासत को लेकर है। अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/89 उनवानी लोकेश कुमार बनाम पदमा देवी में अपीलान्ट लोकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश अपने आप को ओमप्रकाश का पुत्र बताते हुए विवादित भूमि पर अधिकार चाहता है। अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/92 उनवानी गोरधन सिंह व अन्य बनाम पदमा देवी व अन्य एवं अपील संख्या जीसीएमएस

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नम्बर 2025/142 उनवानी गोर्धन सिंह व अन्य बनाम पद्मा देवी व अन्य, लोकेश कुमार ने उक्त विवादित भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र गोर्धन सिंह पुत्र अमरचन्द जाति निवासी दूडिया, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू व ओमसिंह पुत्र बिरजूसिंह जाति राजपूत निवासी नांगल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू को दिनांक 11.01.2016 को विक्रय करने के आधार पर अधिकार चाहते हैं। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 उक्त विवादित भूमि को अपने पुत्र व भाई के नाऔलाद फौत हो जाने पर ओमप्रकाश के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान के आधार पर अधिकार चाहते हैं, को लेकर है।

अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीम का थाना की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ओमप्रकाश पुत्र जीवणराम की मृत्यु दिनांक 16.01.2004 को हो जाने पर ओमप्रकाश के पिता जीवणराम पुत्र लादूराम जाति ब्राहमण निवासी बागोरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू ने तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू को प्रार्थना पत्र बाबत नामान्तरण खोलने बाबत निवेदन किया गया। जिस पर तहसीलदार उदयपुरवाटी ने निर्णय दिनांक 05.01.2016 द्वारा लोकेश कुमार पुत्र स्व0 ओमप्रकाश ब्राहमण निवासी बागोरा को एकमात्र वारिस मानते हुये ओमप्रकाश पुत्र जीवणराम ब्राहमण निवासी बागोरा, तहसील उदयपुरवाटी की खातेदारी भूमि का नामान्तरण इनके वारिस लोकेश कुमार के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 05.01.2016 पारित किये गये। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने आदेश दिनांक 05.01.2016 की पालना में नामान्तरण संख्या 676 ग्राम बागोरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू दिनांक 08.01.2016 द्वारा लोकेश कुमार पुत्र स्व0 ओमप्रकाश कौम ब्राहमण के नाम स्वीकृत किया गया। नामान्तरण संख्या 676 लोकेश कुमार पुत्र स्व0 ओमप्रकाश ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू दिनांक 08.01.2016 द्वारा लोकेश कुमार पुत्र स्व0 ओमप्रकाश कौम ब्राहमण के नाम स्वीकृत हो जाने पर लोकेश कुमार ने उक्त विवादित भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र गोर्धन सिंह पुत्र अमरचन्द जाति निवासी दूडिया, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू व ओमसिंह पुत्र बिरजूसिंह जाति राजपूत निवासी नांगल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू को दिनांक 11.01.2016 को विक्रय कर दी गयी।

तहसीलदार उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 05.01.2016 की पालना में स्वीकृत किये गये नामान्तरण संख्या 676 ग्राम बागोरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू दिनांक 08.01.2016 से व्यथित होकर पद्मा देवी पत्नि जीवणराम के वारिसान जीवणराम वगैरह द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीम का थाना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीम का थाना ने यह अंकित किया गया कि "पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर का अवलोकन किया गया एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं का अध्ययन किया गया। उक्त अपील में अंकित भूमि ख० नं० 389 व 392 ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी की खातेदारी अपीलांट के पुत्र ओमप्रकाश के नाम दर्ज रिकार्ड थी। ओमप्रकाश का मृत्यु दिनांक 16.01.2004 को होने पर विरासत के नामान्तरण के संबंध में तहसीलदार उदयपुरवाटी ने प्रकरण संख्या 08/2015 में निर्णय दिनांक 05.01.2016 पारित कर लोकेश कुमार को ओमप्रकाश का एकमात्र वारिस मानते हुए मृतक ओमप्रकाश की खातेदारी भूमि का नामान्तरण लोकेश कुमार के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। निर्णय दिनांक 05.01.2016 की पालना में नामान्तरण संख्या 676 ग्राम बागोरा लोकेश कुमार के पक्ष में भरा जाकर दिनांक 08.01.2016 को तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा तस्दीक किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज यथा आधार कार्ड, रेस्पों संख्या 2 द्वारा पुजारी नियुक्त करने हेतु दिया गया प्रा० पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका, संस्कृत महाविद्यालय की अंकतालिका आदि समस्त दस्तावेजों में लोकेश के पिता का नाम सीताराम ही दर्ज है। जहाँ तक वारिस प्रमाण-पत्र का प्रश्न है, जो ग्राम पंचायत बागोरा

अतिरिक्त सम्मतीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा जारी किया गया था। इस बाबत सरपंच ग्राम पंचायत बागोरा द्वारा अखबार में प्रकाशन करवाया गया कि वारिस प्रमाण-पत्र सरकारी कार्य में मान्य नहीं होगा। जिसकी प्रति पत्रावली में शामिल है। इस आधार पर वारिस प्रमाण-पत्र पर संदेह की स्थिति प्रकट होती है। इसी के साथ वकील अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में फर्द मौका जाँच ग्राम बागोरा जो पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 23.10.2015 को तैयार की गई है, जिसमें स्पष्ट अंकन किया गया है कि ओमप्रकाश मृतक के वारिसों की जाँच स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इसलिए नामान्तरकरण भरा जाना संभव नहीं है। सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र लिया जाकर ही नामान्तरकरण दर्ज किया जाना उचित है। इस प्रकार ओमप्रकाश के वारिसों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

इस प्रकार लोकेश मृतक ओमप्रकाश का एकमात्र पुत्र वारिस होना प्रमाणित नहीं है। ओमप्रकाश की मृत्यु के समय उसकी माता (अपीलांट पदमा देवी) जीवित थी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार हिन्दू पुरुष के निर्वसीयती मृत्यु की स्थिति में उसकी संपत्ति सर्वप्रथम प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को जायेगी। मृतक की माता प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी में शामिल है। अतः मृतक ओमप्रकाश की मृत्यु पर उसकी जीवित माता पदमा देवी (अपीलांट) के नाम भी विरासत का नामान्तरकरण दर्ज होना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने मृतक ओमप्रकाश की विरासत के नामान्तरकरण के संबंध में निर्णय करते समय न तो लोकेश कुमार का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी की तथा ना ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृतक की जीवित माता (अपीलांट पदमा देवी) के नाम नामान्तरकरण हेतु आदेश किया। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.01.2016 विधिसम्मत नहीं है, जो अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीम का थाना ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.12.2024 द्वारा यह निर्णय पारित किया गया कि उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.01.2016 अपास्त किया जाता है एवं उक्त निर्णय की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 676 ग्राम बागोरा दिनांक 08.01.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक ओमप्रकाश के विधिक वारिसान के संबंध में सम्पूर्ण जांच कर एवं पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।”

तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि न्यायालय अति. जिला कलक्टर नीमकाथाना के निर्णय दिनांक 16.12.2024 की पालना में पदमा देवी वगैरह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं ने प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 135 (2) के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये तथा पटवारी पटवार हल्का बागोरा को मृतक ओमप्रकाश के विधिक वारिसान की जांच एवं मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया। पटवारी पटवार हल्का बागोरा ने मौका रिपोर्ट दिनांक 07.01.2025 पेश की गयी। जो निम्न प्रकार से है - “ओमप्रकाश का विवाह प्रेमलता पुत्री युधीष्टर सहाय शर्मा निवासी घाट का बालाजी गलता रोड जयपुर से होना बताया। प्रेमलाल विवाह के बाद अपने पति ओमप्रकाश के साथ नहीं रहना बताया। न ही कोई इससे ओमप्रकाश की औलाद होना बताया। तथा ओमप्रकाश व प्रेमलता का विवाह विच्छेद (तलाकनामा) मौके पर उपस्थित मौत-बिरान ने सन् 1995 में होना बताया। तथा मृत्यु के समय सन् 2004 में ओमप्रकाश की न ही कोई पत्नि व सन्तान नहीं होना बताया। प्रेमलता विवाह के कुछ ही दिनों बाद सीताराम शर्मा निवासी घाट के बालाजी अनाज के मण्डी सूरजपोल गेट जयपुर के साथ चली गई होना बताया। ओमप्रकाश अपने जन्म से मृत्यु तक माता-पिता पदमा देवी पत्नि जीवणराम शर्मा व भाई अशोक कुमार, विनोद कुमार, वीरबल, सुभाष निवासी बागोरा,

तहसील उदयपुरवाटी के साथ रहना बताया। इनके साथ ही अपना भरण-पोषण होना बताया। तथा इनकी ओमप्रकाश की माताजी पदमा देवी का देहान्त सन् 2017 में होना बताया गया।”

तहसीलदार (भू.अ.) तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुझुनूं ने पटवारी हल्का बागोरा की जांच रिपोर्ट एवं वारीसान की रिपोर्ट, न्यायिक आदेश दिनांक 02.03.1994 तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार यह विवेचन किया गया कि “मृतक ओमप्रकाश के विधिक वारीसान पदमा देवी पत्नी जीवनराम (माता), जीवनराम पुत्र लादुराम (पिता), अशोक, विनोद, बीरबल, सुभाष पुत्रगण जीवनराम (भाई) के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है।” न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना के निर्णय दिनांक 16.12.2024 तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्य सबूत तथा पटवारी हल्का द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एवं वारीसान जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रार्थीगण पदमा देवी पत्नी जीवनराम वगैरह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी, जिला झुझुनूं द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.02.2025 से प्रार्थीगण पदमा देवी पत्नी जीवनराम जाति ब्राहमण निवासी बागोरा का प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1955 को स्वीकार कर यह निर्णय पारित किया गया कि “प्रेमलता द्वारा पारिवारिक न्यायालय में दायर प्रकरण संख्या 94/1994 दिनांक 02.03.1994 में अंकित तथ्य अनुसार प्रेमलता द्वारा दायर प्रकरण में कहा गया कि वह 12-13 वर्ष पूर्व से ही अपने पति के साथ नहीं रहती है। अप्रार्थी लोकेश कुमार की जन्म तिथि दसवीं कि अंकतालिका के अनुसार दिनांक 22.12.1986 है। दायर प्रकरण में अंकित तथ्य अनुसार उक्त अवधि के दौरान प्रेमलता अपने माता-पिता के साथ ही रही थी। अप्रार्थी लोकेश कुमार मृतक ओमप्रकाश का विधिक वारिस होने बाबत किसी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता था लेकिन आज दिनांक तक नहीं किया गया है। न्यायिक आदेश दिनांक 02.03.1994 के अवलोकन एवं लोकेश कुमार की जन्म दिनांक का अवलोकन करने पर यह प्रतीत नहीं होता है कि लोकेश कुमार, प्रेमलता एवं ओमप्रकाश की जायन्दा संतान है। मौका जांच रिपोर्ट पटवारी तथा वारिसान जांच रिपोर्ट पटवारी के अनुसार भूमि खाता संख्या 17 खसरा संख्या 389 रकबा 0.22 तथा खसरा संख्या 392 रकबा 2.10 कुल किता 2 कुल रकबा 2.32 है० भूमि की खातेदारी से लोकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी सा. देह का नाम हटाया जाकर इसके स्थान पर मृतक ओमप्रकाश के विधिक वारिसान पदमा देवी पत्नी जीवनराम (माता), जीवनराम पुत्र लादुराम (पिता), अशोक, विनोद, बिरबल, सुभाष पुत्रगण जीवनराम (भाई) समस्त जातिगण ब्राहमण निवासी बागोरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुझुनूं के नाम राजस्व रिकार्ड में किसी न्यायालय का स्थगन प्रभावी ना हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।”

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का विस्तृत अध्ययन एवं विश्लेषण कर निर्णय पारित किया गया है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीम का थाना के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.12.2024 एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) तहसील उदयपुरवाटी के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.02.2025 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थीगण की तीनों अपीलें खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीम का थाना जिला सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2024 एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुझुनूं के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.02.2025 में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाट्स सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतिरिक्त सम्मन्वीय आयुक्त
जयपुर

अतः आदेश है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की तीनों अपीलें खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना, हाल जिला सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.12.2024 एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.02.2025 को यथावत रखा जाता है। चूंकि श्रीमती पदमा देवी पत्नी जीवण राम की मृत्यु दिनांक 27.12.2017 को हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.02.2025 में आंशिक संशोधन करते हुये तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने निर्णय दिनांक 12.02.2025 में मृतक श्रीमती पदमा देवी पत्नी जीवण राम के अलावा शेष विधिक वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में किसी न्यायालय का स्थगन प्रभावी ना हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर